

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर - 1, श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव ।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय अध्यक्ष जी, अपने वरिष्ठ सहयोगी डा. जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से, मैं राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति सातवां (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2024 जो दिनांक 20 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1490(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 79/18/24]

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (पूर्व-स्नातक सिद्धा कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 18-12/2021-बीयूएसएस (एसआईडी-यूजी-एमईएस) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (पूर्व-स्नातक आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.बीओए/2-सी/2024 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 28 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या फा.सं.बीओए/2-सी/2024 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र ।

[Placed in Library, See No. LT 80/18/24]

(2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 35/2021/एनसीएच/एनसीबी/ एमईएस.सी में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 3-42/2021/एनसीएच/एचईबी/पीजी.रेग. में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 10-2-/एमएआरबीएच/एनसीएच /2023-24 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्था की स्थापना (चिकित्सा संस्था द्वारा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2024 जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमएसआर.सी. में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 81/18/24]

(3) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022 2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 82/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under subsection (3) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000:-

(i) The Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.133(E) in Gazette of India dated 26th February, 2024.

(ii) The Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.808(E) in Gazette of India dated 31st October, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 83/18/24]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 84/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 85/18/24]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding review by the Government of the working of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 86/18/24]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 87/18/24]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 88/18/24]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर - 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, अपने साथी मंत्री श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 89/18/24]

(दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 90/18/24]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) नेशनल कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल कॉओपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आणंद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 91/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(1) The Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2024 published in Notification No. G.S.R.325(E) in Gazette of India dated 14th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 92/18/24]

(2) The Employees? Pension (Second Amendment) Scheme, 2024 published in Notification No. G.S.R.326(E) in Gazette of India dated 14th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 93/18/24]

(3) The Employees? Pension (Third Amendment) Scheme, 2024 published in Notification No. G.S.R.327(E) in Gazette of India dated 14th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 94/18/24]

(4) The Employees? Provident Funds (Amendment) Scheme, 2024 published in Notification No. G.S.R.329(E) in Gazette of India dated 14th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 95/18/24]

(5) The Employees? Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2024 published in Notification No. G.S.R.330(E) in Gazette of India dated 14th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 96/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 97/18/24]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMANTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 98/18/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 99/18/24]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990:-

(i) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. A-10/178/2012- PPC/PBRB(2). in Gazette of India dated 28th February, 2024.

(ii) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied Posts) Recruitment (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. N-10/12/2013-PPC/PBRB. in Gazette of India dated 7th June, 2024.

(iii) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.678(E) in Gazette of India dated 20th September, 2023.

(iv) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. A-10/178/2012-PPC/PBRB(1) in Gazette of India dated 28th February, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 100/18/24]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 8 of the Cinematograph Act, 1952:-

(i) The Cinematograph (Certification) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.214(E) in Gazette of India dated 15th March, 2024.

(ii) The Cinematograph (Adjudication of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.317(E) in Gazette of India dated 7th June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 101/18/24]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) का.आ.5452(अ) जो दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(2) का.आ.5453 (अ) जो दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(3) का.आ.5468 (अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(4) का.आ.5469 (अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(5) का.आ.5470(अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(6) का.आ.5471 (अ) जो दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(7) का.आ.170 (अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(8) का.आ.171 (अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(9) का.आ.172(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(10) का.आ.254(अ) जो दिनांक 18 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में, उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(11) का.आ.304(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और हरियाणा राज्यों में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(12) का.आ.305(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा का.आ. 3032 (अ) दिनांक 22 जून, 2018 की अधिसूचना को निरस्त किया गया है ।

(13) का.आ.306 (अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा का.आ. 1457 (अ) दिनांक 9 मई, 2017 की अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(14) का.आ.430 (अ) जो दिनांक 2 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू संघ राज्यक्षेत्र में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 701 क की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(15) का.आ.686 (अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 913 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(16) का.आ.692(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(17) का.आ.765 (अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(18) का.आ.806 (अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(19) का.आ.807(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(20) का.आ.808 (अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 137 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।

(35) का.आ.1335 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(36) का.आ.1336 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(37) का.आ.1732 (अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 352 क का पुनःसंरक्षण अधिसूचित किया गया है ।

(38) का.आ.1761 (अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(39) का.आ.1762 (अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(40) का.आ. 1984 (अ) जो दिनांक 14 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(41) का.आ.1985 (अ) जो दिनांक 14 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(42) का.आ.2263 (अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(43) का.आ.2264(अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(44) का.आ.2265 (अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(45) का.आ.2266 (अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (1) से (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 102/18/24]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 103/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989:-

(i) The Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.160(E) in Gazette of India dated 7th March, 2024.

(ii) The Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.170(E) in Gazette of India dated 11th March, 2024.

(iii) The Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.286(E) in Gazette of India dated 22nd May, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 104/18/24]

(2) A copy of the Railway Servants (Conduct of Disciplinary Inquiry through Video Conferencing) Regulations, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.287(E) in Gazette of India dated 22nd May, 2024 under the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 105/18/24]

11.04 hrs